"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2008— चैत्र 22, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2008

क्रमांक ई-7/19/2004/1 /2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पदेन सचिव, छ. ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 10-04-2008 से 17-04-2008 तक (08 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18, 19 एवं 20 अप्रैल, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान, आगामी आदेश तक आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पदेन सचिव, छ. ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

क्रमांक ई-7/8/2003/1 /2.— श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 26-03-2008 से 04-04-2008 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती पिल्ले आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती पिल्ले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पिल्ले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती पिल्ले के उक्त अवकाश अवधि में श्री एन. के. असवाल, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का भी कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2008

क्रमांक 2511/888/21-ब/छ. ग./2008.— नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जनसंख्या एवं कार्य को देखते हुए जिला न्यायालय दुर्ग में नोटरी के 1 पद बालोद तहसील में 1 पद एवं उपतहसील-देवरी बंगला में 1 पद नोटरी के नये पद वृद्धि करता है.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

क्रमांक 2670/976/21-ब/2008.— भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पादरी मारकुस राम, खीष्ट चर्च कुदुदण्ड, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में :-

1. विवाह अनुष्ठापित कराने, और,

2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 2670/976/21-B/2008.— In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), The State Government are pleased to grant license to the (Minister of Religion) Paster Markush Ram, Christ Church Kundudand Bilaspur for Bilaspur District State of Chhattisgarh :-

1. To Solemnize Marriage ; and

2. To grant Certificate of marriages between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, अतिरिक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2008

क्रमांक 108/13/ऊ. वि./2008.— राज्य शासन, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं.-54) की धारा-5 के अन्तर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को एतंद्द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम सं.-36) की धारा-172 (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, भारत सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार, विद्युत अधिनियम 2003 के संगत प्रावधानों के अनुसार राज्य पारेषण यूटिलिटी एवं अनुज्ञप्तिधारी के रूप में अपेक्षित कृत्यों को 31-03-2008 की अवधि से आगामी 30-04-2008 तक निर्वहन हेतु अधिकृत करती है.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास , विशेष सचिव.

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

क्रमांक एफ 2-1/15-1/2005.— भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,

अनुसूची- एक में सरल क्रमांक (1) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाए, अर्थात् :-

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या (प्रशासनिक + अंकेक्षण बोर्ड)	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अंकेक्षण अधिकारी	32	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय) सेवा.	1. 1000-30-1210-40-1450-50-1800 लोक सेवा आयोग द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों और भविष्य में भरती के लिए. 2. 900-25-1000-30-1210-40-1450 अन्य के लिए (सांख्येत्तर संवर्ग).

अनुसूची-चार के कालम (2) में, सरल क्रमांक (1) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियाँ, प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

स. क्र.	विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु सेवा कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम-13 देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहकारिता	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/विपणन निरीक्षक	अंकेक्षण अधिकारी	5 वर्ष	1. अपर पंजीयक-अध्यक्ष 2. अंकेक्षण बोर्ड के प्रभारी संयुक्त/उप पंजीयक. 3. स्थापना शाखा के प्रभारी संयुक्त पंजीयक /उप पंजीयक.

टिप्पणी :- 1. ऐसे वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/विपणन निरीक्षक जो लोक सेवा आयोग द्वारा अंकेक्षण अधिकारी के पद पर अनुमोदित नहीं किए जाते हैं, वे वेतनमान 900-1450 प्राप्त करेंगे. वे वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/विपणन निरीक्षक (एस. सी. आई.) के संवर्ग के साथ अंकेक्षण अधिकारी के पद पर पदोन्नति के चैनल में रहेंगे, जो वेतनमान 860-1410 में है.

2. यह संशोधन 1-04-1981 से प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

क्रमांक एफ 2-1/15-1/2005.— भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अनुसरण में विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1/15-1/2005 दिनांक 27-3-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.
नारायण सिंह, सचिव.

Raipur, the 27th March 2008

No. F 2-1/15-1/2005.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of constitution of India the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh subordinate Co-operative (Non-ministerial) Service Recruitment Rules, 1967, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules;-

In Schedule I, for serial number (1) and entries relating thereto the following serial number and entries relating there to shall be substituted, namely :-

S. No.	Name of the post included in the Service	No. of post (Administrative + Audit Board)	Classification	Pay scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Audit officer	32	Chhattisgarh sub-ordinate (Non ministerial) Service.	1. 1000-30-1210-40-1450-50-1800 for those to be cleared by the public service commission and for future recruitment. 2. 900-25-1000-30-1210-40-1450 Others (Dying Cadre).

In column (2) of Schedule IV, for serial number (1) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

S. No.	Name of Department	Name of Service of or post from which promotion is to be made	Nature of Service or post to which promotion is to be made	Service Period from promotion	Name of the members of the Departmental promotion committee (vide Rule 13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Co-operative	Senior Co-operative Inspector/Marketing Inspector.	Audit Officer	5 Year	1. Add. Registrar- Chairman 2. Incharge Audit board J. R. C. S./D. R. C. S. 3. Incharge establishment J. R. C. S./D. R. C. S.

Note :- (1) Senior Co-operative Inspector/Marketing Inspector not approved by the public service commission on the post of Audit Officer. Will get the pay Scale of Rs. 900-1450. They shall in the channel of promotion to the post of Audit Officer alongwith cadre of S. C. I./M. I. Who are in the pay Scale of 860-1410.

(2) This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1-04-1981.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NARYAN SINGH, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

प्र. क्र. 02/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	लखनपुर प. ह. नं. 54	3.147	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा, जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र. 10 अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सड्डू प. ह. नं. 109	खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, संभाग-1, रायपुर.	कमजोर आय वर्ग/आश्रयहीन हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु.
			226/1	1.965		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			226/2	3.557		
			226/3	0.295		
			226/4	0.304		
			226/6	0.426		
			226/16	0.269		
			226/17	0.150		
			226/21	0.246		
			226/22	0.369		
			226/27	1.112		
			226/28	2.273		
			226/29	0.255		
			226/30	0.256		
			226/31	0.290		
			226/32	0.308		
			226/33	0.485		
			226/34	0.228		
			226/35	0.251		
			226/36	0.228		
			226/37	0.233		
			226/38	0.266		
			226/39	0.262		
			226/45	0.214		
			226/46	0.218		
			226/47	0.300		
			226/49	0.262		
			226/50	0.241		
			226/52	0.230		
			226/55	0.255		
			226/56	0.279		
			226/57	0.269		
			226/58	0.405		
			228	0.219		
			229	0.162		
			230	0.162		
			231/1 231/4	0.244		
			231/2	0.015		
			232/2	0.030		
			233	0.053		
			235/3	0.073		
			231/3	0.260		
			231/5	0.168		
			232/1	0.023		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)
234	0.053
235/1	0.082
235/2	0.047
236/2	0.090
241/2	0.047
236/1	0.031
237/1	0.055
237/2	0.095
239/3	0.010
241/3	0.010
242/3	0.056
238	0.045
239/1	0.158
239/2	0.042
242/2	0.015
243	0.101
240	0.154
241/1	0.105
242/1	0.030
244/1	0.243
244/2	0.243
245/1	0.004
245/2	0.206
247/3	
246/1	0.072
246/2	0.074
247/1	0.073
247/2	0.073
247/4	0.073
248/1	0.073
248/2	0.093
250/2	
248/3	0.093
249/2	
248/4	0.070
249/1	0.009
249/3	0.070
250/3	0.010
251/2	0.013
249/4	0.060
251/3	0.026
252/2	0.007
250/1	0.072
251/3	0.045

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)
253/3	0.028
251/4	0.025
252/3	0.035
253/3	0.010
252/1	0.100
253/1	0.071
254	0.105
257	0.243
258	0.445
259/1	0.538
259/2	0.538
262	0.324
264/1	0.004
264/2	0.004
264/3	0.004
264/4	0.004
264/5	0.008
264/6	0.004
265/1	0.214
265/2	0.053
	23.795

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 8 फरवरी 2008

रा. प्र. क्र. /1/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सामरी	पहरी	10.816	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, अंबिकापुर जिला-सरगुजा.	बांध, डुब क्षेत्र, नहर, स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुंसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 फरवरी 2008

रा. प्र. क्र. /1/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	कुसमी	रेहड़ा	1.697	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, अंबिकापुर जिला-सरगुजा.	चंद्रनगर जलाशय, स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	पुरी प. ह. नं. 17	9.511	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कोसमघाट जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	सलिहाभांठा प. ह. नं. 32	0.278	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	सलिहाभांठा मांझापारा मार्ग के कि. मी. 1/4 पर सलिहाभांठा सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	खम्हार प. ह. नं. 5	1.909	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	झरन जलाशय योजना के स्पील चैनल हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	सलखिया प. ह. नं. 4	0.184	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	भेलवाटोली जलाशय योजना के एल. बी. सी. नहर चैन क्रमांक 0 से 7 हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	सलखिया प. ह. नं. 4	0.653	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	भेलवाटोली जलाशय योजना के आर. बी. सी. नहर चैन क्रमांक 0 से 19 हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	भेलवाटोली प. ह. नं. 3	1.348	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	भेलवाटोली जलाशय योजना के एल. बी. सी. नहर चैन क्रमांक 8 से 60 हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	भेलवाटोली प. ह. नं. 3	0.388	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	भेलवाटोली जलाशय योजना के आर. बी. सी. नहर चैन क्रमांक 20 से 35 हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	कूपाकानी प. ह. नं. 7	9.583	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कूपाकानी जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 12 मार्च 2008

[illegible].—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बीजापुर
- (ख) तहसील-भोपालपटनम
- (ग) नगर/ग्राम-गोलागुड़ा, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.74 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	185/2	0.16
	187	0.26
	194/2	0.17
	194/3	0.15
योग	4	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रा. रा. मार्ग क्रमांक 202 चौड़ीकरण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लखन सिंह केन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

प्र. क्र. 01/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बनखैरा, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.264 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	75/1 76/2	2.264
योग	2	2.264

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के उलट नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 मार्च 2008

क्रमाक/3140/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-हीरापुर, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.28 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	175	0.28
योग		0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हीरापुर-झण्डातालाब मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 04/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-कंठी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.260 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20	0.069
22	0.024
23/1	0.053
50/1	0.049
51	0.065
योग	0.260

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बांकी परियोजना के खुखरी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 फरवरी 2008

रा. प्र. क्रं. 01/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सामरी (कुसमी)
- (ग) नगर/ग्राम-रेहड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 1.697 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
666	0.196
694/1	0.035
697/1	0.152
698/1	0.233
701/1	0.299
700/1	0.140
701/2	0.199
704	0.030
690	0.162
654	0.080
663	0.070
700/2	0.081
706	0.020
योग 13	1.697

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चंद्रनगर जलाशय के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र.क्र./23/अ-82/वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-तरपोंगी, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 7.304 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
469/1	0.073
470/1 471/1	0.061
470/5 471/5	0.041

(1)	(2)
470/3	0.041
471/3	
470/4	0.049
471/4	
466/1	0.081
465	0.138
462/2	0.202
463/2	0.142
464/3	0.413
464/4	0.085
464/1	0.041
426/1	0.041
293/3	0.109
646/5	0.109
446/13	0.437
441/1	0.041
444/2	0.140
445/6	0.020
443/2	0.057
418/3	0.020
442/1	0.065
441	0.016
440/2	0.162
440/3	0.008
418/2	0.032
420	0.227
422/1	0.045
422/2	0.081
423	0.073
424	0.038
425/1	0.053
425/2	0.049
426/2	0.162
446/8	0.122
271/1	0.065
272/3	0.109
272/2	0.142
271/3	0.061
272/1	0.020
274/1	0.292
276/8	0.130
131/1 ख	0.089
276/12	0.081
276/2	0.182
276/3	0.158
276/1	0.113
293/1	0.045
292/2	0.122
291	0.182
290	0.194
132/2	0.648
130/15	0.259
130/13	0.130
30/1	0.194
26/1	0.190
21	0.198
130/12	0.097
131/1 ग	0.113
131/1 ड	0.016
योग	7.304

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरना वितरक शाखा नहर के अंतर्गत तरपोंगी माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र.क्र./24/अ-82/वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-निनवा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.039 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
475/1	0.052
476/1	

(1)	(2)
475/2 476/2	0.040
474/1	0.178
408/11	0.161
408/12	0.097
406/6	0.121
118/25	0.109
118/30	0.161
118/29	0.129
118/10	0.064
129/2	0.408
118/27	0.032
127/6	0.060
127/11	0.129
127/20	0.141
118/13	0.157
योग	2.039

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरना वितरक शाखा नहर के अंतर्गत निनवा माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र.क्र./11/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुढ़ियारी, प. ह. नं. 107
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 230 वर्ग मीटर

	खसरा नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
	(1)	(2)
	1552/1 (घ)	230
योग	1	230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेल्वे अन्डर ब्रिज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 7 मार्च 2008

क्रमांक 21/क/भू-अ./ अ. वि. अ./09 अ-82 वर्ष 03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-तोषगॉव, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.54 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1554	1.59
	1514	0.81
	1485	2.02
	1554	0.12
योग	4	4.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लमकेनी जलाशय योजना में शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 7 मार्च 2008

क्रमांक 23/क/भू-अ./ अ. वि. अ./20 अ-82 वर्ष 03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-गनियारीपाली, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.53 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	08	0.35
	16	0.02
	09	0.09
	18	0.03
	22	0.04
योग	05	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना में उलट निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सराय[illegible] के कार्यालय में किया जा सकता है.

[illegible]सगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-08/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमपाली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 8.402 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	157/3 घ	0.433
	157/3 छ	0.607
	191	0.190
	210/8	0.202
	155	0.040
	192	0.049
	310/4	1.214
	156/1	0.235
	157/3 ख	1.214
	193	0.129
	156/3	0.235
	157/3 च	0.809
	124	0.728
	210/9	0.809
	157/3 ग	0.061
	195/5	0.081
	156/3	0.343
	157/217	0.214
	210/3	0.809
योग		8.402

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोसमपाली जलाशय योजना के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक -23/ अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अतरमुड़ा बड़े ,प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.688 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
16/1 क	0.138
16/1 ग	0.429
18	0.048
17	0.073
योग	0.688

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाईपास मार्ग पर जिंदल पंप हाउस के पास केलो सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2008

क्रमांक - भू-अर्जन/प्र. क्र. 15/अ 82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नागचुवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.86 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
40/2	0.19
40/3	0.19
41	0.17
42	0.11
43/1	0.14
43/2	0.04
244	0.10
305	0.53
240	0.38
248	0.10
306	0.15
299	0.06
290/5	0.10
290/4, 290/7, 290/10, 290/11	0.34
290/3	0.01
311/1	0.25
योग 16	2.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साल्हेडबरी जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2008

क्रमांक - भू-अर्जन/प्र. क्र. 16/अ 82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-धूमा (साल्हेडबरी)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 8.60 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
227/2	0.33
228	
91	0.54
104/1	0.10
87	0.20
90	0.51
105	0.05
55	0.30
106	0.12
107	0.31
85/119	0.83
46	0.14
516	0.30
52	0.41
53/2	0.31
57/2	0.25
58	0.52
65	0.28
517	0.83
536	0.14
513/1	0.07
513/2	1.37
513/3	
513/4	
510/2	0.28
493	0.41
योग 23	8.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साल्हेडबरी जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2008

क्रमांक - भू-अर्जन/प्र. क्र. 30/अ 82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बरद्वार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
203/4	0.10
योग	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

रा. प्र. क्र. 36/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-बिरगहनी, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.80 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	118/1	0.80
योग		0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तखतपुर-पथरिया पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2008

क्रमांक 610/छ. ग. रा. पि. व. आ./08.— छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर का आदेश क्रमांक 1629/25-2/आजावि/2008/28-02-2008 में डॉ. गणेश कौशिक, पता-बी-1, विनायक विहार डंगनिया रायपुर को, सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग, नियुक्त किया गया है. उनके द्वारा आज दिनांक 03-03-2008 को पूर्वान्ह में पदभार ग्रहण कर लिया गया है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 620 अ/छ. ग. रा. पि. व. आ./08.— छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर का आदेश क्रमांक 1629/25-2/आजावि/2008/28-02-2008 में श्री नंदकुमार साहू, बोरियाकला सेजबहार (माना कैम्प), रायपुर, श्री सोमनाथ यादव, ईदगाह चौक, प्रेस क्लब बिलासपुर, श्री देवेन्द्र जायसवाल, काली मंदिर के पास डौण्डी लोहारा, दुर्ग को सदस्य, छ. ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया है. उनके द्वारा आज दिनांक 10-03-2008 को पूर्वान्ह में पदभार ग्रहण कर लिया गया है.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2008

क्रमांक 625/छ. ग. रा. पि. व. आ./08.— छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर का आदेश क्रमांक 1629/25-2/आजावि/2008/28-02-2008 में श्री प्रहलाद रजक, बेमेतरा कोबिया चौक, दुर्ग (छ. ग.) को सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया है. उनके द्वारा आज दिनांक 11-03-2008 को पूर्वान्ह में पदभार ग्रहण कर लिया गया है.

बद्रीश सुखदेवे,
सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 7 मार्च 2008

क्रमांक /2571/ज्ये. लि.-1/2008.— राजनांदगांव जिले में हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध को ध्यान में रखते हुये इस बीमारियों के प्रसार की रोकथाम करना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं, संजय गर्ग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2)　जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकास खण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग-सब्जियां, मिष्ठान, मांस-मछलियों, अनाज, रोटी, मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आईसक्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ. ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव सहायक खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगर पालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

(3)　जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

(4)　यह आदेश पूर्ण सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

संजय गर्ग,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद (छ. ग.)

महासमुंद, दिनांक 14 फरवरी 2008

क्रमांक /327/क/खनिज/2007.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के तहत महासमुंद जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 दिवस के पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध रहेगा.

स. क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	खनिज	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
01	मुढेना	144/91	चूना पत्थर	महासमुंद	330 का भाग	0.76 एकड़	स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण खुला घोषित किया जा रहा है.

महासमुंद, दिनांक 18 मार्च 2008

क्रमांक /562/क/खनिज/2008.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के तहत महासमुंद जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 दिवस के पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध रहेगा.

स. क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	खनिज	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
01	घोडारी	87	चूना पत्थर	महासमुंद	548/1 का भाग	0.50 एकड़	स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण खुला घोषित किया जा रहा है.

सुरेन्द्र कुमार जायसवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख), जिला-महासमुंद (छ. ग.)

महासमुंद, दिनांक 14 मार्च 2008

क्रमांक /21/भू-अ./स. अ. भू. अ.-2 /ग्राम विभाजन/2008.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73, 86 एवं 90 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एस. के. जायसवाल, कलेक्टर, जिला-महासमुन्द एतद्द्वारा ग्राम डुडुमचुवां पटवारी हल्का नंबर 3 राजस्व निरीक्षक मंडल एवं तहसील सरायपाली का विभाजन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूँ :-

क्र.	मद का विवरण	वर्तमान ग्राम	नवीन प्रस्तावित ग्राम	
		डुडुमचुंवा	डुडुमचुंवा	मौहाडीपा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	501.38	332.69	168.69
2.	मकबूजा	380.55	250.37	130.18
3.	गैर मकबूजा	120.83	82.32	38.51
4.	आबादी	7.43	4.40	3.03
5.	घास	72.27	46.91	25.36
6.	पानी के नीचे	27.18	20.66	6.52
7.	सड़क/इमारत	13.95	10.35	3.60
8.	शमशान/कब्रिस्तान	0.48	0.41	0.07
9.	गौठान/खलिहान	1.13	0.96	0.17
10.	जनसंख्या	1261	863	398

एस. के. जायसवाल,
कलेक्टर.

संचालनालय, कृषि, (छत्तीसगढ़), रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2008

क्र. /गन्ना/रक्षण/2007-08/294.— मैं, अवध बिहारी, गन्ना आयुक्त, छ. ग. रायपुर, गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियम) अधिनियम 1958 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व अधिसूचना क्रमांक गन्ना/रक्षण/2005-06/195-96, दिनांक 3-12-2005 द्वारा भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना राम्हेपुर (कवर्धा) जिला कबीरधाम के लिए आरक्षित गन्ना क्षेत्र में से निम्न विकासखण्डों को गन्ना क्षेत्र अनारक्षित घोषित करता हूँ. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

क्र.	अनारक्षित गन्ना क्षेत्र	
	जिला	विकासखण्ड
1.	दुर्ग	1. बेमेतरा 2. साजा 3. नवागढ़ 4. बेरला
2.	राजनांदगांव	1. छुईखदान 2. खैरागढ़
3.	बिलासपुर	1. लोरमी 2. मुंगेली

अवध बिहारी,
आयुक्त.

न्यायालय, कलेक्टर धमतरी, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

धमतरी, दिनांक 11 मार्च 2008

ग्रामवासी ग्राम डाही अंगारा,
प. ह. नं. 05, रा. नि. मं. भोथली, तहसील व जिला धमतरी.

बनाम

छ. ग. शासन

आदेश

(पारित दिनांक 26-02-2008)

रा. प्र. क्र. 01 अ/3/2007-08/ग्राम-डाही-अंगारा तहसील धमतरी.— ग्रामवासियों का एक संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आवेदन, ग्राम डाही-अंगारा, प. ह. नं. 05, रा. नि. मं. भोथली तहसील व जिला धमतरी से अंगारा को पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने बाबत प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज करके जांच की कार्यवाही की गई. प्रकरण की जांचोपरांत अतिरिक्त तहसीलदार धमतरी का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी, धमतरी के अनुसंशा सहित प्राप्त हुआ. प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं कनिष्ठ अधिकारियों के प्रतिवेदन से वस्तुस्थिति निम्नानुसार होती है :-

1. ग्राम डाही एवं अंगारा की दूरी 02 किलोमीटर है. प्रकरण में ग्राम डाही अंगारा को पृथक-पृथक राजस्व ग्राम का दर्जा देने के लिए राजस्व निरीक्षकों से सर्वेक्षण कराया गया, सर्वेक्षण बाद प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेजों के अनुसार ग्राम डाही-अंगारा का विवरण निम्न है.

स. क्र.	मद का विवरण	वर्तमान में ग्राम डाही अंगारा की स्थिति	विभाजित करने पर	
			ग्राम डाही की स्थिति	प्रस्तावित ग्राम अंगारा की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	645.44 हेक्टर	368.27 हेक्टर	277.17 हेक्टर
2.	मकबूजा क्षेत्रफल	553.70 हेक्टर	316.34 हेक्टर	237.36 हेक्टर
3.	गैर मकबूजा क्षेत्रफल			
अ.	आबादी भूमि	13.25 हेक्टर	08.15 हेक्टर	05.10 हेक्टर
ब.	घास चारागन भूमि	51.49 हेक्टर	27.73 हेक्टर	23.76 हेक्टर
स.	पानी के नीचे	18.53 हेक्टर	11.59 हेक्टर	06.94 हेक्टर
द.	सड़क रास्ता	08.47 हेक्टर	04.46 हेक्टर	04.01 हेक्टर
	योग	**91.74 हेक्टर**	**51.93 हेक्टर**	**39.81 हेक्टर**
4.	कुल खातेदारों की संख्या	588	364	224
5.	कुल भू-राजस्व	1937.80 रुपये	1125.25 रुपये	812.55 रुपये
6.	जनसंख्या	3000	2000	1000
7.	प्राथमिक शाला	02	01	01
8.	आंगनबाड़ी भवन	02	01	01
9.	तालाबों की संख्या	07	04	03
10.	खेल मैदान	02	01	01
11.	कब्रिस्तान	02	01	01
12.	हेण्ड पम्पों की संख्या	19	12	07
13.	चौपाल एवं मनोरंजन भवन	03	01	02

2. ग्राम डाही अंगारा को पृथक-पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु ग्राम में ईस्तहार दिनांकित 22-1-2004 का प्रकाशन किया गया जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई.

3. ग्राम डाही-अंगारा को पृथक-पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु ग्राम सभा का प्रस्ताव दिनांकित 28-1-2004 सर्वसम्मति से पारित किया गया.

प्रकरण की उपरोक्त स्थिति पर म. प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 177-6477-सात-ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 के तहत निर्मित नियम के परिप्रेक्ष्य में मनन करने से मेरा यह समाधान हो गया है कि,

1. ग्राम डाही एवं अंगारा की दूरी 02 किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल इतना अधिक है कि वे अलग-अलग इकाई के रूप में सुविधापूर्वक प्रबंधनीय होगा.

2. ग्राम डाही एवं अंगारा के लिए पर्याप्त दखल रहित भूमियां है जिसके कारण सामाजिक अधिकारों का उपभोग पृथक-पृथक रूप से संचालित किया जाना, सुविधाजनक होगा.

3. ग्राम डाही एवं अंगारा के लिए पृथक-पृथक भौगोलिक क्षेत्र, मकबूजा क्षेत्र, आबादी, चारागान, रास्ता, प्राथमिक शाला, आंगनबाड़ी भवन, तालाबों की संख्या, खेल मैदान, कब्रिस्तान इत्यादि भी है.

4. ग्राम डाही एवं अंगारा का क्षेत्रफल पृथक-पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने के लिये निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल 200 एकड़ से अधिक है.

5. ग्राम डाही एवं अंगारा को पृथक-पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने से दोनों ग्राम के आम जनता को समुचित सुविधा होगी.

अतएव, मैं, बी. एल. बंजारे, कलेक्टर, धमतरी (छ. ग.), छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला धमतरी, तहसील धमतरी, प. ह. नं. 05 राजस्व निरीक्षक मण्डल भोथली, तहसील व जिला धमतरी स्थित राजस्व ग्राम डाही अंगारा को विभाजित करके डाही प. ह. नं. 05-अ एवं अंगारा प. ह. नं. 05-ब के रूप में पृथक-पृथक राजस्व ग्राम गठित करने का आदेश पारित करता हूं.

यह आदेश आगामी राजस्व वर्ष 2008-09 से प्रभावी होगा. अत: अधीक्षक, भू-अभिलेख को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के जारी होने के दो माह के भीतर एक दल तैयार करके, दोनों ग्राम का खसरा, क्रमांक-1 से प्रारंभ करके पुनरंकित कर लेवें तथा इसी प्रकार नक्शा सहित अन्य पटवारी अभिलेख भी अलग-अलग तैयार कर लेवें तत्पश्चात् पालन प्रतिवेदन देवें. इस आदेश की प्रतिलिपि छ. ग. राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेजा जावे तथा सर्व संबंधितों की ओर दोनों ग्रामों को पृथक-पृथक ग्राम के रूप में अपने-अपने अभिलेख में अभिलिखित कर अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा जावें.

यह आदेश आज दिनांक 26-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा सहित पारित किया गया.

बी. एल. बंजारे,
कलेक्टर.

कार्यालय; जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

कांकेर दिनांक 19 मार्च 2008

क्रमांक /1520.— बंधक श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम 1976 (1976 का सख्यांक 19) की धारा 13(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, के. आर. पिस्दा, जिला दण्डाधिकारी, कांकेर एतद्द्वारा कांकेर जिले में बंधक श्रमिकों के विमुक्ति पुनर्वास एवं अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूँ, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

उपधारा (अ)

1. श्री के. आर. पिस्दा, जिला दण्डाधिकारी, कांकेर - अध्यक्ष
(जिला दंण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति)

उपधारा (ब)

1. श्री चन्द्रप्रकाश ठाकुर, अध्यक्ष जनपद पंचायंत कांकेर - सदस्य
2. श्री सतीश लाटिया, सदस्य जिला पंचायत, कोरर तह. भानुप्रतापपुर - सदस्य
3. श्री पुरूषोत्तम पाटिल, जनपद सदस्य, नरहरपुर - सदस्य
(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जिले में निवासरत जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि).

उपधारा (स)

1. श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् कांकेर - सदस्य
2. श्री मतीन खान, पार्षद, नगरपालिका परिषद् कांकेर - सदस्य
(जिला दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत दो समाज सेवक जो जिले में निवासरत हो).

उपधारा (द)

1. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, कांकेर - सदस्य
2. श्रीमती इंद्राणी तिवारी, अधिवक्ता, संचालिका श्रूति स्वयंसेवी संस्था, कांकेर - सदस्य
3. श्री देवाराम साहू, अध्यक्ष, बिड़ी मजदूर संघ, डोकला, तह. चारामा - सदस्य
(जिले के ग्रामीण विकास से संबंधित अधिकारियों या गैर अधिशासी संस्था से संबंधित प्रतिनिधि राज्य शासन द्वारा मनोनित).

उपधारा (ई)

1. श्री दिवाकर राठौर, जिला कोषालय अधिकारी, कांकेर - सदस्य
(जिले के वित्तीय एवं बैकिंग संस्थाओं से जिला दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि).

के.आर. पिस्दा,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 647/तीन-22-3/2008 (नगरी-धमतरी).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नगरी अपने घोषित कार्यस्थल नगरी के अतिरिक्त धमतरी में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 535/तीन-22-3/2000 (धमतरी-नगरी), दिनांक 22-01-2007 जहां तक उसका संबंध द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 धमतरी की श्रृंखला न्यायालय नगरी से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 647/III-22-3/2008 (Nagari-Dhamtari).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Nagari in addition to his place of sitting at Nagari declared shall also sit at Dhamtari to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Notification No. 535/III-22-3/2000 (Dhamtari-Nagari) dated 22-01-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of IInd Civil Judge Class I, Dhamtari at Nagari is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 648/तीन-22-3/2008 (पखांजूर-भानुप्रतापपुर).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पखांजूर अपने घोषित कार्यस्थल पखांजूर के अतिरिक्त भानुप्रतापपुर में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 648/III-22-3/2008 (Pakhanjur-Bhanupratappur).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Pakhanjur in addition to his place of sitting at Pakhanjur declared shall also sit at Bhanupratappur to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 649/तीन-22-3/2008 (बचेली-दंतेवाड़ा).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बचेली अपने घोषित कार्यस्थल बचेली के अतिरिक्त दंतेवाड़ा में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 649/III-22-3/2008 (Bacheli-Dantewara).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act. 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Bacheli in addition to his place of sitting at Bacheli declared shall also sit at Dantewara to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 650/तीन-22-3/2008 (डभरा-सक्ती).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, डभरा अपने घोषित कार्यस्थल डभरा के अतिरिक्त सक्ती में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 537/तीन-22-3/2000 (सक्ती-डभरा), दिनांक 22-01-2007 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सक्ती की श्रृंखला न्यायालय डभरा से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 650/III-22-3/2008 (Dabhra-Sakti).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Dabhra in addition to his place of sitting at Dabhra declared shall also sit at Sakti to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Notification No.537/III-22-3/2000 dated 22-01-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class I, Sakti at Dabhra is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 651/तीन-22-3/2008 (डभरा-जैजैपुर).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, डभरा अपने घोषित कार्यस्थल डभरा के अतिरिक्त जैजैपुर में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 1011/तीन-22-3/2000 (सक्ती-जैजैपुर), दिनांक 08-02-2007 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सक्ती की श्रृंखला न्यायालय जैजैपुर से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 651/III-22-3/2008 (Dabhra-Jaijaipur).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Dabhra in addition to his place of sitting at Dabhra declared shall also sit at Jaijaipur to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Notification No.1011/III-22-3/2000 (Sakti-Jaijaipur) dated 08-02-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class II, Sakti at Jaijaipur is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 652/तीन-22-3/2008 (चांपा-जांजगीर).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, चांपा अपने घोषित कार्यस्थल चांपा के अतिरिक्त जांजगीर में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 652/III-22-3/2008 (Champa-Janjgir).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Champa in addition to his place of sitting at Champa declared shall also sit at Janjgir to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 653/तीन-22-3/2008 (वाड्रफनगर-प्रतापेपुर).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वाड्रफनगर अपने घोषित कार्यस्थल वाड्रफनगर के अतिरिक्त प्रतापपुर में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 653/III-22-3/2008 (Wadrafnagar-Pratappur).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate, First Class, Wadrafnagar in addition to his place of sitting at Wadrafnagar declared shall also sit at Pratappur to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 654/तीन-22-3/2008 (सीतापुर-अंबिकापुर).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, सीतापुर अपने घोषित कार्यस्थल सीतापुर के अतिरिक्त अंबिकापुर में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 1001/तीन-22-3/2000 (अंबिकापुर-सीतापुर), दिनांक 08-02-2007 जहां तक उसका संबंध द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अंबिकापुर की श्रृंखला न्यायालय सीतापुर से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 654/III-22-3/2008 (Sitapur-Ambikapur).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Sitapur in addition to his place of sitting at Sitapur declared shall also sit at Ambikapur to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Notification No.1001/III-22-3/2000 (Ambikapur-Sitapur) dated 08-02-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of IInd Civil Judge Class II, Ambikapur at Sitapur is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 655/तीन-22-3/2008 (चिरमिरी-मनेन्द्रगढ़).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, चिरमिरी अपने घोषित कार्यस्थल चिरमिरी के अतिरिक्त मनेन्द्रगढ़ में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 5729/तीन-22-10/70, दिनांक 24-06-1971 एवं ज्ञापन क्रमांक अ/2828/तीन-22-10/77, दिनांक 17-09-1999 जहां तक उसका संबंध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनेन्द्रगढ़ की श्रृंखला न्यायालय चिरमिरी से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 655/III-22-3/2008 (Chirmiri-Manendragarh).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Chirmiri in addition to his place of sitting at Chirmiri declared shall also sit at Manendragarh to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Memorandum No. 5729/III-22-10/70 dated 24-06-1971 and Memorandum No. A/2828/III-22-10/77 dated 17-09-1999, issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur so far it relates to holding Camp Court of Judicial Magistrate First Class, Manendragarh at Chirmiri is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 656/तीन-22-3/2008 (बगीचा-जशपुर).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बगीचा अपने घोषित कार्यस्थल बगीचा के अतिरिक्त जशपुर में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 995/तीन-22-3/2000 (जशपुर-बगीचा), दिनांक 08-02-2007 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जशपुर की श्रृंखला न्यायालय बगीचा से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 656/III-22-3/2008 (Bagicha-Jashpur).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Bagicha in addition to his place of sitting at Bagicha declared shall also sit at Jashpur to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Notification No. 995/III-22-3/2000 (Jashpur-Bagicha) dated 08-02-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class II, Jashpur at Bagicha is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 657/तीन-22-3/2008 (बिल्हा-बिलासपुर).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतदद्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बिल्हा अपने घोषित कार्यस्थल बिल्हा के अतिरिक्त बिलासपुर में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 989/तीन-22-3/2000 (बिलासपुर-बिल्हा), दिनांक 8-2-2007 जहां तक उसका संबंध द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बिलासपुर की श्रृंखला न्यायालय बिल्हा से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 657/III-22-3/2008 (Bilha-Bilaspur).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Bilha in addition to his place of sitting at Bilha declared shall also sit at Bilaspur to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Notification No. 989/III-22-3/2000 (Bilaspur-Bilha) dated 08-02-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of IInd Civil Judge Class I, Bilaspur at Bilha is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 658/तीन-22-3/2008 (गरियाबंद-राजिम).—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 543/तीन-22-3/2000 (गरियाबंद-राजिम) दिनांक 22-01-2007 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गरियाबंद की श्रृंखला न्यायालय राजिम से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 658/III-22-3/2008 (Gariyaband-Rajim).—The Notification No. 543/III-22-3/2000 (Gariyaband-Rajim) dated 22-01-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class I, Gariyaband at Rajim is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 659/तीन-22-3/2008 (बलौदाबाजार-सिमगा).—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 533/तीन 22-3/2000 (बलौदाबाजार-सिमगा) दिनांक 22-01-2007 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बलौदाबाजार की श्रृंखला न्यायालय सिमगा से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 659/III-22-3/2008 (Balodabazar-Simga).—The Notification No. 533/III-22-3/2000 (Baloda-Bazar-Simga) dated 22-01-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class II, Baloda Bazar at Simga is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 660/तीन-22-3/2008 (जशपुर-कुनकुरी).—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 997/तीन 22-3/2000 (जशपुर कुनकुरी) दिनांक 08-02-2007 जहां तक उसका संबंध प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जशपुर की श्रृंखला न्यायालय कुनकुरी से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 660/III-22-3/2008 (Jashpur-Kunkuri).—The Notification No. 997/III-22-3/2000 (Jashpur-Kunkuri) dated 08-02-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Ist Civil Judge Class I, Jashpur at Kunkuri is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 667.—छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 के उपनियम (1) एवं नियम 2 के खण्ड (ख) एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 7120/D-2517/XXI-B/C. G./07 दिनांक 14-08-07 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1867/06 (मलिक मजहर सुलतान एवं एक अन्य वि. यू. पी. लोक सेवा आयोग एवं अन्य) के प्रकरण में दिनांक 04-01-07 को पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, व्यवहार न्यायाधीश पद (प्रवेश स्तर) की रिक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अधिसूचना जारी करता है :—

1.

वर्तमान रिक्तियों की संख्या	20
भावी रिक्तियां जो वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण संभावित है	निरंक
भावी रिक्तियां जो कि पदोन्नति, मृत्यु या अन्यथा संभावित है, कुल पदों की संख्या में लगभग 10%.	40
कुल	**60**

2. सीधी भर्ती से भरे जाने वाले उपर्युक्त पदों की संख्या का विवरण :

क्रमांक	विवरण	कुल रिक्त पदों की संख्या	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ)	अनारक्षित पदों की संख्या	31	09
(ब)	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों की संख्या	09	03
(स)	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या	11	03
(द)	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित पदों की संख्या	08	02
(इ)	अस्थि रोग संबंधी विकलांग के लिये आरक्षित पदों की संख्या, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 6 (3) के अनुसार.	01	-
	कुल योग	**60**	**17**

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 667.—In exercise of powers conferred by sub-rule (1) of rule 5 and clause (b) of Rule 2 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 as per the amended notification No. 7120/D-2517/XXI-B/C. G./07 dated 14-08-07 and in view of the directions of Hon'ble the Supreme Court in its order dated 04-01-07 passed in the C. A. 1867/06 (Malik Mazhar Sultan and another V/s U. P. Public Service Commission & ors.). The High Court of Chhattisgarh notifies the vacancies in respect of Civil Judge Class-II (Entry Level) as under :—

I.

(A)	Existing Vacancies	20
(B)	Future vacancies that may arise within one year due to retirement.	Nil
(C)	Future vacancies that may arise due to promotion, death or otherwise, say ten percent of the number of posts.	40
	Total	**60**

II. Details of the number of posts to be filled in by direct recruitment :

S. No.	Description	total No. of Vacant post category wise	No. of posts reserved for women out of total vacancies
(1)	(2)	(3)	(4)
(a)	No. of unreserved posts	31	09

(1)	(2)	(3)	(4)
(b)	No. of posts reserved for Scheduled Caste	09	03
(c)	No. of posts reserved for Scheduled Tribe	11	03
(d)	No. of posts reserved for Other Backward Classes	08	02
(e)	No. of posts reserved for physically handicapped persons having orthopedic disability as per rule 6(3) of Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recuitment & Conditions of Service) Rules, 2006.	01	-
	Total	**60**	**17**

Bilaspur, the 18th January 2008

No. 117/Confdl./2008/II-3-1/2008.—The Registry Order No. 114/Confdl./2008/II-3-1/2008, dated 16-01-2008 is hereby modified to the extent that Ku. Garima Arya, Civil Judge Class-II, Baloda-Bazar, shall stand transferred and posted as Civil Judge Class-II, Simga intead of Bilaigarh and Shri Balaram Sahu, XI Civil Judge Class-II, Raipur, shall stand transferred and posted as Civil Judge Class-II Bilaigarh instead of Simga.

बिलासपुर, दिनांक 18 जनवरी 2008

क्रमांक 712/तीन-22-3/2008 (धमतरी-कुरूद).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, धमतरी अपने घोषित कार्यस्थल धमतरी के अतिरिक्त कुरूद में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 18th January 2008

No. 712/III-22-3/2008 (Dhamtari-Kurud).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Ist Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Dhamtari in addition to his place of sitting at Dhamtari declared shal also sit at Kurud to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 18 जनवरी 2008

क्रमांक 713/तीन-22-3/2008 (सक्ती-जैजैपुर).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सक्ती अपने घोषित कार्यस्थल सक्ती के अतिरिक्त जैजैपुर में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 651/तीन-22-3/2008 (डभरा-जैजैपुर), दिनांक 17-01-2008 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 डभरा की श्रृंखला न्यायालय जैजैपुर से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 18th January 2008

No. 713/III-22-3/2008 (Sakti-Jaijaipur).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate Sakti in addition to his place of sitting at Sakti declared shall also sit at Jaijaipur to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Notification No.651/III-22-3/2008 (Dabhra-Jaijaipur) dated 17-01-2008 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class II, Dabhra at Jaijaipur is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 18 जनवरी 2008

क्रमांक 725/तीन-22-3/2008 (सिमगा-बलौदा बाजार).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, सिमगा अपने घोषित कार्यस्थल सिमगा के अतिरिक्त बलौदा बाजार में श्री जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 1019/तीन-22-3/2000 (बलौदा बाजार-बिलाईगढ़), दिनांक 8-2-2007 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बलौदा बाजार की श्रृंखला न्यायालय बिलाईगढ़ से एवं अधिसूचना क्रमांक 640/तीन-22-3/2008 (बिलाईगढ़-बलौदा बाजार), दिनांक 17-01-2008 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बिलाईगढ़ की श्रृंखला न्यायालय बलौदा बाजार से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 18th January 2008

No. 725/III-22-3/2008 (Simga-Baloda Bazar).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Simga in addition to his place of sitting at Simga declared shall also sit at Baloda Bazar to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Notification No.1019/III-22-3/2000 (Baloda Bazar-Bilaigarh) dated 8-2-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class I, Baloda Bazar at Bilaigarh and Notification No. 640/III-22-3/2008 (Bilaigarh-Baloda Bazar) dated 17-01-2008 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class-2, Bilaigarh at Baloda Bazar are hereby cancelled

Bilaspur, the 21st January, 2008

No. 730/R.G./08.—In exercise of the rule making power under Chapter X of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of the 1908) and clause (d) of sub-section (2) of Section 89 of the said Code, the High Court of Chhattisgarh hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Civil Procedure Mediation Rules, 2006 which shall come into force from 13-1-2008.

AMENDMENTS

In sub-rule (a) of Rule 4 of the Chhattisgarh Civil Procedure Mediation Rules, 2006 a new clause (iv) containing the sentence "District and Sessions Judge or Officers of Chhattisgarh Higher Judicial Service" after clause (iii) be added.

Bilaspur, the 4th February, 2008

No. 182/Confdl./2008/II-1-1/2008 (Pt.-B).—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 11017/12/2007-US.II dated January 18, 2008 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Rajeev Gupta, Chief Justice of Uttarakhand High Court has assumed charge of the office of Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of 2nd February, 2008.

By order of Hon'ble the Chief Justice.
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.

Bilaspur, the 23rd January 2008

No. 02/L.G./2008/II-2-34/2002.—Shri T. C. Yadu, Judge, Family Court, Raigarh (C.G.) is hereby, granted earned leave for 05 days from 11-2-2008 to 15-2-2008 with permission to prefix holidays of 9th & 10th February, 2008 & suffix holidays of 16th & 17th February, 2008 along with permission to remain out of headquarters.

On return from leave Shri Yadu is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri T. C. Yadu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+10 days of earned leave are remaining in his leave account.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.

Bilaspur, the 28th January 2008

No. 05/Comp./2008.—WHEREAS in a Departmental Enquiry against Shri Yogesh Mathur, Member Higher Judicial Service, was suspened by the order No. 4406/RG/05, dated 12-9-2006.

Hon'ble the High Court of Chhattisgarh as Disciplinary Authority hereby revokes the suspension of Shri Yogesh Mathur, Member Higher Judicial Service (Placed under suspension with head quarter Raipur) with immediate effect and on reinstatement, he is posted as Additional Judge to the Court of I Additional Distric Judge, Raipur.

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. BECK, Additional Registrar (D E).

बिलासपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2007

क्रमांक 205/दो-2-26/2001.—श्री राधेश्याम शर्मा, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 7-12-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 1-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2007

क्रमांक 206/दो-2-13/2007.—श्री एन. डी. तिगाला, एडीशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-10-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 1-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

क्रमांक 2/दो-2-18/2006.—श्री गनपत राव, एडीशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-11-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 1-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2008

क्रमांक 7/दो-2-39/2004.—श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़, वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-11-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक 671/जेओटीआई/2007.—श्री आर. के. अग्रवाल, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर वर्तमान में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-01-2005 तक के खण्ड अवधि के लिए उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2005 से प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.